न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री लादुसिंह पुत्र परबतसिंह जी, जाति- राजपूत निवासी- सगालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, अन्दौर जरिये सरपंच, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. सचिव, ग्राम पंचायत, अन्दौर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 90/2017

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवड़ा, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 09 मार्च, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, अन्दौर की ग्रामसभा दिनांक 28.11.2016 में पारित प्रस्ताव संख्या (3)(d) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 11.2.2017 को ग्राम सभा अन्दौर की बैठक में लादसिंह पुत्र परबतसिंह जी, निवासी- सगालिया द्वारा पट्टे संबंधी जो मिसल 99-2000 से पेन्डिग है, उसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं संलग्न मिसल में 100/- रुपये के शपथ पत्र जो श्री कस्तुराराम, खीमाराम, मगनलाल पुत्र जोराजी घांची व अन्य द्वारा उक्त प्रस्तावित पट्टे की भूमि को श्री कस्तुराराम व अन्य घांची सगालिया हाल- पाडीव द्वारा उनकी पुश्तैनी भूमि को ग्रामवासियों के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सौपी गई जिसे ग्रामीण सगालिया के हस्ताक्षर व तत्कालीन सरपंच श्री जितेन्द्रसिंह देवडा को सुपर्द की गई। जिस पर बाद विचर विमर्श के श्री लादूसिंह पुत्र परबतसिंह को बताया गया, श्री कस्तुराराम व अन्य द्वारा झूठा शपथ पत्र है, तो उनके नाम कार्यवाही की जा सकती है। अन्यथा उक्त शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूमि ग्रामवासी सगालिया की जानी जायेगी, अत: आपके नाम पट्टा नही बन सकता है। उक्त प्रस्ताव नियमों को ताक में रखकर लिया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पूर्वजों के समय से करीब 40-45 वर्ष पूर्व कब्जे भोगवटे का भूखण्ड ग्राम सगालिया में आया हुआ है जिस पर एक कमरा बना हुआ है जिसमें 6 ट्रोली पत्थर, गोबर का ढेर व जलाने की लकडी पडी है जिसकी चतुर्दशी अनुसार पूर्व में दरवाजा व रास्ता, पश्चिम में मेदाराम पुत्र देवाजी रेबारी का मकान, उत्तर में मोतीगिरी पुत्र शंकरगिरी का मकान व दक्षिण में सार्वजनिक भवन है तथा क्षेत्रफल 4497.6 वर्गफीट है। प्रार्थी ने दिनांक 11.5.1999 को पट्टा बनाने के लिये

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

आवेदन पुराने गृहों का विनियमितिकरण के लिये ग्राम पंचायत कार्यालय में किया व ग्राम पंचायत द्वारा नाप जोख भी कराया था, इसके बावजूद भी नियम प्रस्ताव पारित किया है। प्रार्थी उक्त कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ का गत 40-45 वर्ष से बिना किसी रोक टोक के उपयोग करता आ रहा है, फिर भी एक झूठा शपथ पत्र कस्तुराराम, खीमाराम व मगनलाल पसिरान जोराजी घांची से लेकर प्रस्ताव पारित किया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी की पूर्व सरपंच से रंजिश होने से दबाव डालकर शपथ पत्र झूठा पेश करवाया। कस्तुराराम व अन्य का आज दिन तक उक्त भूखण्ड़ पर कब्जा नही होने के बाद भी नियम विरुद्ध प्रस्ताव लिया गया है। प्रार्थी की मिसल वर्ष 1999 से पेण्डिग है फिर भी कस्तुराराम व अन्य का झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करवाकर प्रस्ताव पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 15.5.2017 को अप्रार्थीगण उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचाययत, अन्दौर के पत्र क्रमांक:ग्राप/अन्दौर/2007/SP-1 दिनांक 15.5.2017 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 11.2.2017 को ग्रामसभा अन्दौर की बैठक में प्रार्थी लादूसिंह पुत्र परबतसिंह राजपूत, निवासी- सगालिया की पट्टे संबंधित पेन्डिग मिसल 99-2000 को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रस्ताव संख्या (3)(d) के अनुसार ग्राम पंचायत अन्दौर प्रार्थी लादूसिंह की पट्टे संबंधी मिसल में 100/- रुपये के शपथ पत्र जो कालुराम, खीमाराम, मगनाराम पिता श्री जोराजी घांची व अन्य द्वारा उक्त प्रस्तावित पट्टे की भूमि को श्री कस्तुराराम व अन्य, जाति-घांची, निवासी- सगालिया, हाल-पाडीव द्वारा उनकी पुश्तैनी भूमि को ग्रामवासियों को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सौंपी गई जिसे ग्रामीणों व तत्कालीन सरपंच श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा को सुपर्द की गई जिस पर बाद विमर्श के प्रार्थी लादूसिंह पुत्र श्री परबत सिंह को बताया गया कि कस्तुराराम व अन्य द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया गया है तो उनके नाम कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि उनकी पुश्तैनी भूमि थी। अन्यथा उक्त शपथ पत्र अनुसार उक्त भूमि ग्रामवासी सगालिया की मानी जायेगी। अत: आपके नाम पुश्तैनी पट्टा नही बन सकता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी लादूसिंह के पूर्वजों का कभी कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि पर पूर्व में काबिज के पुश्तैनी मकान में घाणी हेतु कमरा श्री कस्तुराराम, खीमाराम व मगबनाराम पिता जोराजी घांची, निवासी- सगालिया, हाल निवासी- पाडीव का रहा है एवं प्रार्थी लादूसिंह द्वारा पत्थर गोबर का ढेर व जलाने की लकडीया है जो वार्ड पंच व ग्रामवासियों के अनुसार अतिक्रमण कर डाली गई है। प्रार्थी लादूसिंह ने दिनांक 11.5.1999 को पट्टा बनाने हेतु आवेदन पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम 157(1) के तहत पुश्तैनी मकान होने के संबंधी सबूत पेश करने हेतु बताया गया था, लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई सबूत आदिनांक तक पेश नही करने से उक्त आवेदन नियम 157(1) की श्रेणी में नही आता है। प्रार्थी लादूसिंह करीब 40-45 वर्षो से बिना रोक टोक उपयोग करते आने पर भी एक झूठा शपथ पत्र लिया गया, जबकि संलग्न मिसल अनुसार स्टाम्प 100/- रुपये पर स्वयं श्री कस्तुराराम,

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खीमाराम व मगनाराम के मार्फत हस्ताक्षर शुदा शपथ पत्र पूर्व सरपंच श्री जितेन्द्रसिंह व ग्रामवासियों के अनुसार सही है। प्रार्थी के अनुसार पूर्व सरपंच से रंजिश होने से दबाव डालकर झूठा शपथ पत्र पेश किया, जबकि उक्त शपथ पत्र पर पूर्व सरपंच श्री जितेन्द्रसिंह के अनुसार श्री कस्तुराराम, खीमाराम, मगनाराम ने हस्ताक्षर बिना किसी दबाव के बिना नशे पते के स्वयं की इच्छा व सहमति कर दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार मिसल वर्ष 1999 से पेंडिग है, फिर भी झूठा शपथ पत्र पेश किया गया गया। जबकि पूर्व सरपंच श्री रमेश कुमार जैन द्वारा भूमि संबंधी लादूसिंह से सबूत मांगे थे उस समय उक्त प्रार्थी ने कोई सबूत दसतावेज पेश नही किये। प्रार्थी लादूसिंह के उक्त भूखण्ड़ के अलावा कोई रहने के लिय मकान नही है, यह कथन असत्य है। प्रार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम सगालिया में है एवं प्रार्थीगण वृहद काश्तकार की श्रेणी में आता है। अत: उक्त प्रस्ताव सही होने से निगरानी खारिज योग्य है।

(3) प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सगालिया में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का भूखण्ड़ आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से करीब 40-45 वर्ष पुराना कब्जा है एवं मौके पर एक कमरा बना हुआ है जिसमें 6 ट्रोली पत्थर, गोबर का ढेर व जलाने की लकडी पडी है। प्रार्थी के उक्त कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ की चतुर्दशी अनुसार पूर्व में दरवाजा व रास्ता, पश्चिम में मेदाराम पुत्र देवाजी रेबारी का मकान, उत्तर में मोतीगिरी पुत्र शंकरगिरी का मकान व दक्षिण में सार्वजनिक भवन है तथा भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 4497.6 वर्गफीट है। प्रार्थी ने अपने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की आवासीय भूखण्ड़ का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, अन्दौर में दिनांक 11.5.1999 को आवेदन पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत किया। जिस पर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा मिसल संख्या 1 दिनांक 11.5.1999 को दायर की गई एवं मौके का नजरी नक्शा बनाया गया। ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा वार्ड पंचों को उक्त भूमि के मौका निरीक्षण हेतु भी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा उक्त मिसल में कोई कार्यवाही नही की गई तथा ग्राम पंचायत, अन्दौर के पूर्व सरपंच ने दिनांक 08.3.2013 को श्री कपूराराम पुत्र मोतीजी घांची, निवासी- अन्दौर, हाल- पाडीव व अन्य का 100/- रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक झूठा शपथ पत्र / बक्शीशनामा तैयार कर प्रार्थी लादूसिंह के कब्जे भोगवटे की भूमि को श्री कपूराराम पुत्र मोती जी, कस्तुराराम पुत्र जोराजी घांची व अन्य, निवासी- सगालिया, हाल- पाडीव की मालकी स्वामित्व की होना बताते हुए ग्रामवासियों के हक में निष्पादित करवाया। ग्राम पंचायत, अन्दौर के पूर्व सरपंच द्वारा उक्त बक्शीशनामा उक्त श्री कपूराराम, कस्तूराराम व अन्य पर दबाव डालकर लिखवाया गया है जो पूर्णतया झूठा है। उक्त भूमि पर कपूराराम, कस्तूराराम व अन्य का कभी भी कब्जा भोगवटा नही रहा है, इसलिये प्रश्नगत प्रस्ताव को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर की ग्रामसभा में प्रस्ताव संख्या (3)(d) दिनांक

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

11.2.2017 को इस आशय का पारित किया गया है कि बैठक में लादूसिंह पुत्र परबतसिंह जी, निवासी- सगालिया की पट्टे संबंधी जो मिसल वर्ष 99-2000 से पेन्डिग है, उसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं संलग्न मिसल में 100/- रुपये के शपथ पत्र जो श्री कस्तुराराम, खीमाराम, मगनलाल पुत्र जोराजी घांची व अन्य द्वारा उक्त प्रस्तावित पट्टे की भूमि को श्री कस्तुराराम व अन्य घांची सगालिया हाल-पाडीव द्वारा उनकी पुश्तैनी भूमि को ग्रामवासियों के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सौंपी गई जिसे ग्रामीण सगालिया के हस्ताक्षर व तत्कालीन सरपंच श्री जितेन्द्रसिंह देवडा को सुपर्द की गई। जिस पर बाद विचर विमर्श के श्री लादूसिंह पुत्र परबतसिंह को बताया गया, श्री कस्तुराराम व अन्य द्वारा झूठा शपथ पत्र है, तो उनके नाम कार्यवाही की जा सकती है। अन्यथा उक्त शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूमि ग्रामवासी सगालिया की जानी जायेगी, अत: आपके (प्रार्थी) के नाम पट्टा नही बन सकता है।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी श्री लादूसिंह पुत्र परबतसिंह जी, निवासी- सगालिया ने ग्राम पंचायत, अन्दौर में पुश्तैनी कब्जेशुदा मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा मिसल संख्या 1/99-2000 दिनांक 11.5.1999 को दायर की गई। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर की बैठक दिनांक 20.11.2000 को उक्त मिसल प्रस्तुत हुई, जिसमें सचिव को भूमि का नक्शा बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने व तीन वार्ड पंचों को भूमि के मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया तथा प्रार्थी लादूसिंह को अपना कब्जा साबित करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 11.2.2017 को पारित कर यह निर्णय लिया गया है कि श्री कस्तूराराम, खीमाराम, मगनलाल पुत्र जोराजी घांची व अन्य, निवासी- सगालिया, हाल-पाडीव के शपथ पत्र अनुसार उक्त भूमि ग्रामवासी सगालिया की होने से इनके (प्रार्थी) के नाम पट्टा नही बन सकता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा प्रार्थी लादूसिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही ग्रामसभा दिनांक 11.2.2017 में प्रश्नगत पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, अन्दौर को दोनों पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अन्दौर की ग्रामसभा दिनांक 11.2.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या (3)(d) को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, अन्दौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए ग्राम पंचायत अपने स्तर पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया।

08-03-18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही